FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1. **District (ज़िला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Panchkula **Year (वर्ष):** 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0012 **Date (दिनांक):** 05/08/2026 18:16

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)
9	THE SEEDS ACT, 1966	19

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 **Day (दिन):** Intervening Days | **Date from (दिनांक से):** 18/03/2013 | **Date To (दिनांक तक):** 01/01/2023

Time Period (समय अवधि): | **Time From (समय से):** 00:00 hrs | **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): | **Date (दिनांक):** 05/08/2026 | **Time (समय):** 17:37 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): | **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 008 | **Time (समय):** 05/08/2026 17:37 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** EAST, 85 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): बागवानी विभाग,जिला यमुनानगर

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): Insp.Tejpal

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):
08/01/1981

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Occupation (व्यवसाय):**

(h) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	**Address Type (पता का प्रकार)**	**Address (पता)**
1	Present Address	SV AND ACB YNR, YAMUNA NAGAR, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	SV AND ACB YNR, YAMUNA NAGAR, HARYANA, INDIA

(i) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)
1	सुधीर यादव डी.एच.ओ.		
2	सोरन सिहँ एच.ओ.डी.		
3	अन्य तत्कालिन कर्मचारियों		

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Sub Type (उप प्रकार)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12.

First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल लेख इस प्रकार से है

सेवा में,

प्रबन्धक अफसर,

थाना, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

पंचकुला मण्डल, पंचकूला।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 66/22/2013-6, चौकसी0- (11) दिनांक 18.03.2013 की अनुपालना में जांच क्रमांक 05 दिनांक 28.03.2013, पंचकूला दर्ज रजिस्टर होने उपरान्त महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के पृष्ठ क्रमांक 5376/आई0-5/रा० चौ० ब्यूरो, दिनांक 04.04.2013 अनुसार पड़ताल हेतु प्राप्त हुई थी। जिसमें कुल 26 आरोपों की पड़ताल की जानी थी। जिसकी जांच श्री विजय कुमार, ह.पु.से., राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला द्वारा की गई थी जिसके अनुसार जिला यमुनानगर के सम्बन्ध में आरोप न. 1, 2, 10, 15 व आरोपी न. 18 सिद्ध होने पाये गये जो इस प्रकार है:-

जिसमें आरोप नं0 1 यह था कि" Expenditure incurred on the establishment of new gardens in the state: -From the year 2007-08 onwards more than 2000 hectares had been brought under the fruit plantation. For this purpose more than five lacs of fruit plants had been purchased from the private nurseries in the state as well as of the other state Dept. In spite of these the other material like Fertilizer, Pesticides had been purchased in the same manner. Package and practices of the state university has been ignored. Only 5-10% plants are surviving in the field of the farmers in the state. Heavy amount has also been spent on their maintenance for the next three years. Huge embezzlement of fund has been made in the implementation of the scheme.

आरोप नं0 2 यह था कि" From the year 2007-08 onwards an area of more than one thousand hectares have been brought under rejuvenation of old and senile orchards. Several crores have been spent for this purpose. Package and practices of the state university has been ignored. Huge embezzlement of fund has been made in the implementation of the scheme as there is no work in the farmer's field.

आरोप नं0 10 यह था कि" Huge amount of subsidy has been spent (given to farmers/pvt. Agencies) in the implementation of ORGANIC FARMING scheme in the state from 2006-07 onwards. There is no working unit in the field of farmers in the state. 90% of the amount of subsidy has been embezzled. Only 5-10 percent of the farmers have been brought under the scheme. There is no certification of any Horticultural crop in the field of farmer who has been shown under subsidy in the state.

आरोप नं0 15 यह था कि" Material purchased (seed/plants/pesticides etc.) from 2007-08 onwards under the Distt. Administration scheme (MDA NUH and Faridabad, SHIVALIK DEV. BOARD

Yamunanagar and Ambala and others distt. scheme) and distributed to the farmers on free/subsidy basis since 2007-08 in the Dept. is a matter of investigation. All the material has been purchased from private sources and not from Govt. at high rates. Big financial fraud has been made in the implementation of schemes.

आरोप नं0 18 यह था कि" VIOLATION of Seed Act 1966/seed control order in the Dept. is a matter of investigation since 2007-08 onwards. Corruption is being promoted in implementation of the Act. No legal action under section 19 of the Act is being taken against supplier of seed in case the seed is declared substandard by the state seed testing lab. All the cases have been filed due to the reason not known.

जांच अधिकारी द्वारा उपरोक्तों आरोपों बारे जिला यमुनानगर के सम्बन्ध में आरोप न. 1 की जांच की पडताल में पाया गया कि गांव रजहेडी जिला यमुनानगर में वर्ष 2006-07 में श्री नारायण सिंह पुत्र श्री गुरदत्ता, गुलशन कुमार पुत्र श्री नारायण सिंह व निर्मल कुमार पुत्र श्री नारायण सिंह प्रत्येक ने 10 एकड़ में आम का बाग लगवाया व श्री मति सुदेश कुमारी पत्नी श्री नारायण सिंह ने वर्ष 2006-07 में 5 एकड़ में चीकू का बाग लगाया इन खेतों में कमेटी द्वारा पौधो की 100 प्रतिशत मृत्यु दर पाई गई व किसानों द्वारा बताया गया कि उनके काफी प्रयास करने के बाद गढढे खोदने के 32 हजार रूपये की जगह 15 हजार रूपये ही एच.डी.ओ. व डी.एच.ओ. द्वारा उन्हे दिए गए। जो वे अधिकारी कभी उनके खेतो पर नही आए। गढढे किसानों द्वारा खोदे गए परन्तु डी.एच.ओ. द्वारा राशि का भुगतान ठेकेदार को किया गया। इस प्रकार यह गबन का स्पष्ट मामला है। इसी तरह की अनियमितताए अन्य जगहों पर भी इन अधिकारियों द्वारा की गई है। रजहेडी गांव के ही किसान श्री शेर सिंह पुत्र श्री राम सिंह के निरीक्षण के दौरान कोई पौधा नही पाया गया व किसान ने कोई पौधा या अन्य इनपुट उसे प्राप्त से होने से साफ इन्कार कर दिया जबकि रिकार्ड में एक एकड में आम का बाग लगाने की सहायता दी हुई दिखाई थी। इसी प्रकार गांव अलाहड के श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री यज्ञपाल के खेत में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 03 कनाल में केवल 13 पौधे आम लगाए गए है जबकि रिकार्ड के अनुसार एक एकड क्षेत्र बारे सहायता जारी की हुई है यह भी एच.ओ.डी. सोरन सिंह व डी.एच.ओ. श्री सुधीर यादव के किए गए गबन व अनियमितताओं का प्रमाण है।

जांच अधिकारी द्वारा आरोप न. 2 की जांच की पडताल में पाया गया कि गांव खेडा के श्री संतोख सिंह पुत्र तारा सिंह व श्री सुखविन्द्र पुत्र बलविन्द्र के 01 हैक्टेयर क्षेत्र के 02 खेत जिनको प्रत्येक को 15 हजार रूप्ये प्रति हैक्टेयर की दर से आम की बाग की रिजुविनेशन दिए गए परन्तु निरीक्षण के दौरान ना क्षेत्र व ना ही पौधो की संख्या सही पाई गई है। इस स्कीम बारे जिला यमुनानगर को 110 हैक्टेयर क्षेत्र आम के बागों की रिजुविनेशन हेतू लक्ष्य दिया गया था परन्तु डी. एच.ओ. श्री सुधीर कुमार यादव

अपने कार्य की जानकारी न होने के कारण स्कीम बारे तय नियमों की पालना न करके विभाग को 16.5 लाख रूप्ये की हानि पहुंचाई।

इसी प्रकार जांच अधिकारी द्वारा आरोप न. 10 की जांच की पडताल में पाया गया कि गांव अलाहड़ में श्री रमेश कुमार पुत्र श्री रणसिंह द्वारा वर्मी कम्पोस्ट यूनिट लगाई हुई रिकार्ड में दिखाई हुई है परन्तु मौका पर कोई युनिट नही पाई गई। इस प्रकार यह एच.डी.ओ. व डी.एच.ओ. द्वारा किए गबन का मामला है। इसी गांव के श्री संजय कुमार पुत्र श्री अमर सिंह द्वारा 500 वर्ग फीट क्षेत्र में वर्मी कम्पोस्ट यूनिट लगाई जानी दर्शाकर राशि जारी की गई है परन्तु मौका पर पाया गया कि किसान द्वारा आधी यूनिट क्षेत्र को खण्डित कर दिया गया है इस प्रकार यह मिशन के तहत जारी की गई धनराशि का दुरुप्रयोग था जिसकी प्रमुख जिम्मेवारी सोरन सिंह की थी।

इसी प्रकार जांच अधिकारी द्वारा आरोप न. 15 की जांच की पडताल में पाया गया कि शिवालिक डैवलपमैन्ट स्कीम के तहत बागवानी गतिविधि जैसे सब्जियां, फुल, मसाले, प्लास्टिक कैरेट व मसरूम कम्पोस्ट बारे 50 प्रतिशत सब्सीडी देने हेतू 8.30 लाख रूप्ये के बजट का प्रावधान किया गया था जिसके तहत सब्जियों के बीज बारे 01 लाख रूप्ये, फुलो बारे 02 लाख रूप्ये, टमाटर व शिमला मिर्च बारे 2.50 लाख, प्लास्टिक कैरेट 1.6 लाख रूपये व मसरूम कम्पोस्ट के लिए 1.2 लाख रूप्ये खर्च किए जाने थे परन्तु विभाग के निर्देशों की स्कीम के विपरित डी.एच.ओ. श्री सुधीर यादव द्वारा केवल सब्जियों व फुलो के बीज खरीदे गए और फुलों के बीज ऑफसीजन में किसानों को दिए गए व 6.30 लाख रूप्ये के सब्जियों के बीज लाभार्थियों को दिए ही नही गए। जो ऑफिस में ही पडे रहे जो एक्सपायर हो गए। इसी प्रकार डी.एच.ओ. द्वारा इस स्कीम के तहत 8.30 लाख रूप्ये का सीधा दुरुपयोग किया गया जिससे स्कीम का कोई उदेश्य हल नही हुआ।

इसी प्रकार जांच अधिकारी द्वारा आरोप न. 18 की जांच की पडताल में पाया गया कि विभाग में सीड एक्ट 1866 लागू है। इसके अतंर्गत उद्यान सम्बन्धी फसलों के सैम्पल लिए जाते है। जिनकी गुणवता को जांचने के लिए कृषि विभाग या अन्य सरकारी विभाग की सीड टैसटिंग लैबोरेटरी में सैम्पल भेजा जाता है। टैस्ट रिपोर्ट के आधार पर बीज की गुणवता का पता चलता है। लैबोरेटरी द्वारा अगर बीज सब स्टैण्ड पाया जाता है जो इसके विषय में पूर्ण केस बनाकर कोर्ट आफ ला में दिया जाता है। जिसकी सजा 500 रू जुर्माना या 6 माह की कैद है। यह फैसला माननीय अदालत द्वारा किया जाता है। विभाग के किसी भी अधिकारी को केस के निपटान की किसी प्रकार की शक्त्यिां नही है। यह सब जानते हुए भी विभाग ने वर्ष 2007-08 से 2012-13 तक जितने भी बीजों के सैम्पल सब स्टैल्र्ड पाए उन सभी को

कोर्ट आफ ला में देने की बजाए स्वयं रफा दफा कर दिया। जो कि एक औफेंस है। सरकार से इसको वितिय नुकसान हुआ है तथा पद का दुरुप्रयोग किया गया है। इस सम्बन्ध में कार्यालय महानिदेशक बागवानी हरियाणा के पत्र न. Hort/MIDH/53/1/2023- 24/1378 dated 06.03.2024 अनुसार वर्ष 2007-08 से वर्ष 2012-13 तक हरियाणा में रोहतक, सिरसा, यमुनानगर, पानीपत, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, रेवाडी व नारनौल जिलामें घटिया बीज के कुल 82 मामले सामने आए परन्तु किसी जिला उद्यान अधिकारी कम सीड इन्सपैक्टर द्वार माननीय न्यायालय में केस दायर नही किया गया। जो कि सीड एक्ट 1966 के अनुसार किया जाना था।

जो जांच की पडताल के दौरान उपरोक्त आरोप सिद्ध होने पर बागवानी विभाग जिला यमुनानगर के श्री सुधीर यादव, डी.एच.ओ., श्री सोरन सिंह, एच.ओ.डी. व अन्य तत्कालिन कर्मचारियों के खिलाफ धाराधीन 409, 420, 467, 468, 471, 120 बी भा.द.स. के तहत अभियोग दर्ज किए जाने व अभियोग के अनुसन्धान के दौरान बागवानी विभाग के मुख्यालय के अधिकारियों की संलिप्ता देख लिए जाने की संस्तुति सहित जांच की अंतिम रिपोर्ट महानिदेशक, राज्य सतर्कता एव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा के पत्र क्रमांक 14191 दिनांक 18.07.2025 अनुसार मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग को भेजी गई थी। जो श्री सुधीर यादव, डी.एच.ओ., श्री सोरन सिंह, एच. ओ.डी. व अन्य तत्कालिन कर्मचारियों, बागवानी विभाग जिला यमुनानगर के खिलाफ उपरोक्त धाराओं के तहत मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 66/22/2013-6, चौकसी०-(II) दिनांक 18.03.2013 व पुलिस महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पंचकूला के पृष्ठांकन कमांक 12885/आई0-1/ रा.स.एवं भ्र.नि. ब्यूरो (ह) दिनांक 03.07. 2026 अनुसार अभियोग दर्ज करने के आदेश प्राप्त हुये है। अतः श्री सुधीर यादव, डी.एच.ओ., श्री सोरन सिंह, एच.ओ.डी. व अन्य तत्कालिन कर्मचारियों, बागवानी विभाग जिला यमुनानगर के खिलाफ धाराधीन 409, 420, 467, 468, 471, 120 बी भा.द.स. 13 (1) r/w 13 (2) पी.सी. एक्ट, 1988 व धारा 19 बीज अधिनियम, 1966 के तहत अभियोग दर्ज रजिस्टर करने हेतु लेख प्रस्तुत है। जिस पर अभियोग अंकित करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां ईलाका मैजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारीगण की सेवा में भिजवाई जायें तथा अभियोग की नकल मिसल मय असल लेख अभियोग के अनुसंधान के लिए उच्च अधिकारीगण के आदेश अनुसार नियुक्त अनुसन्धान अधिकारी के हवाले की जाए। SD – Tejpal

अज थाना :- थाना रा.स. एवं भ्र.नि. ब्यूरो उपकेन्द्र यमुनानगर।

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(निरीक्षक तेजपाल)
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
उपकेन्द्र यमुनानगर
दिनाँक 05.08.2026
समय 01:50 PM

उपरोक्त तहरीर पर अभियोग नम्बर 12 दिनाँक 05.08.2026 धारा 409,420,467,468,471,120B IPC 13(1) R/W 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 व धारा 19 बीज अधिनियम 1966 थाना राज्य सर्तकता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सैक्टर-17 पंचकुला अंकित करने के लिए बादस्त ASI/ESI सतबीर सिहँ 696/GGM के माध्यम से थाना मे प्राप्त हुई है । प्रथम सूचना चाक करके स्पैशल रिपोर्ट ई. मेल के माध्यम से स्पैशल मैजीस्ट्रेट साहब,जगाधरी जिला यमुनानगर की सेवा में व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जा रही है । असल तहरीर व अभियोग की पुलिस फाईल आगामी अनुसंधान के लिए ASI/ESI सतबीर सिहँ 696/GGM के माध्यम उच्च अधिकारीगण के आदेशानुसार CDC/INSP.उधम सिहँ 597/यमुनानगर की हवाले की जा रही है । इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** **or (या)**

Rank (पद): I (Inspector)

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):**
UDHAM SINGH

No. (सं.): 597YNR **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

Directed (Mobile No. of I.O.) (जांच अधिकारी का मोबाइल नंबर): 919416227236

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):District (ज़िला):or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): MOHIT HANDA

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Male	1980				**Is pox pitted:** Yes
2	Male	1977				**Is pox pitted:** Yes
3	Male	1978				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)